

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112022-240326 CG-DL-E-16112022-240326

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5095] No. 5095] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2022/कार्तिक 25, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2022/KARTIKA 25, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2022

का.आ. 5321(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में Ring Road के कि.मी. 16 से कि.मी.22.4 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय कुंडम) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुंडम को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा।

7606 GI/2022 (1)

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची ad के कि मी 16 से कि मी 22 4 (अनविभागीय अधिकारी (र

मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में Ring Road के कि.मी. 16 से कि.मी.22.4 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय कुंडम) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश जिले का नाम: जबलपुर						
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
तालुक का नाम: कुण्डम						
गांव का नाम:	अमझर					
1	1	सरकारी	चारागाह	1.8830000(हेक्टेयर)	1.8830000	
2	10	निजी	असिंचित	0.6180000(हेक्टेयर)	0.6180000	
3	11/2	निजी	असिंचित	0.7580000(हेक्टेयर)	0.7580000	
4	12	सरकारी	नाला	0.4680000(हेक्टेयर)	0.4680000	
5	13	सरकारी	नाला	0.3480000(हेक्टेयर)	0.3480000	
6	22	निजी	असिंचित	0.0110000(हेक्टेयर)	0.0110000	
7	3	निजी	असिंचित	0.4440000(हेक्टेयर)	0.4440000	
8	4	निजी	असिंचित	0.0460000(हेक्टेयर)	0.0460000	
9	64	सरकारी	चारागाह	0.0610000(हेक्टेयर)	0.0610000	
10	65	सरकारी	चारागाह	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000	
11	66	सरकारी	चारागाह	0.8750000(हेक्टेयर)	0.8750000	
12	67	सरकारी	चारागाह	0.7560000(हेक्टेयर)	0.7560000	
13	68	सरकारी	चारागाह	0.7630000(हेक्टेयर)	0.7630000	
14	75/2	निजी	असिंचित	0.5960000(हेक्टेयर)	0.5960000	
15	76/1	निजी	असिंचित	0.0130000(हेक्टेयर)	0.0130000	
16	76/2	निजी	असिंचित	0.4850000(हेक्टेयर)	0.4850000	
17	8/1	निजी	असिंचित	0.0520000(हेक्टेयर)	0.0520000	
18	8/2	निजी	असिंचित	0.1050000(हेक्टेयर)	0.1050000	

गांव का नाम: हिनौता						
1	186	सरकारी	पहाड़	2.6920000(हेक्टेयर)	2.6920000	
কুল 11.0240				11.0240	11.0240	

[फा. सं. NHAI/PIU-Jabalpur/Jabalpur Ring Road/3(a)/2022/1/3A2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2022

S.O. 5321(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of Ring Road in the stretch of land from Km 16 to Km22.4 (SDM (Revenue) Office Kundam) in the district of JABALPUR in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDM (Revenue) Kundam in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Ring Road in the stretch of land from Ring Road (SDM (Revenue) Office Kundam) in the district of JABALPUR in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH		District: JABALPUR					
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)		
Taluk:	Taluk: Kundam						
Village: Amjhar							
1	1	Government	Charagah	1.8830000(Hectare)	1.8830000		
2	10	Private	Non- Irrigated	0.6180000(Hectare)	0.6180000		
3	11/2	Private	Non- Irrigated	0.7580000(Hectare)	0.7580000		
4	12	Government	Nala	0.4680000(Hectare)	0.4680000		
5	13	Government	Nala	0.3480000(Hectare)	0.3480000		
6	22	Private	Non- Irrigated	0.0110000(Hectare)	0.0110000		
7	3	Private	Non- Irrigated	0.4440000(Hectare)	0.4440000		
8	4	Private	Non- Irrigated	0.0460000(Hectare)	0.0460000		
9	64	Government	Charagah	0.0610000(Hectare)	0.0610000		

10	65	Government	Charagah	0.0500000(Hectare)	0.0500000	
11	66	Government	Charagah	0.8750000(Hectare)	0.8750000	
12	67	Government	Charagah	0.7560000(Hectare)	0.7560000	
13	68	Government	Charagah	0.7630000(Hectare)	0.7630000	
14	75/2	Private	Non- Irrigated	0.5960000(Hectare)	0.5960000	
15	76/1	Private	Non- Irrigated	0.0130000(Hectare)	0.0130000	
16	76/2	Private	Non- Irrigated	0.4850000(Hectare)	0.4850000	
17	8/1	Private	Non- Irrigated	0.0520000(Hectare)	0.0520000	
18	8/2	Private	Non- Irrigated	0.1050000(Hectare)	0.1050000	
Village: Hinauta						
1	186	Government	Mountain	2.6920000(Hectare)	2.6920000	
Total 11.0240					11.0240	

[F. No. NHAI/PIU-Jabalpur/Jabalpur Ring Road/3(a)/2022/1/3A2]

RAJESH GUPTA, Director